समक्ष न्यायालय श्रीमान म0प्र0राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट

बैंच जबलपुर (म.प्र.)

I/निगरानी/सिवनी/भू-रा/2017/2987

राजस्व रिवीजन क्र0-................./2017

प्रत्यर्थी
आपत्तिकर्ता : देवेन्द्र सरवैया आत्मज जगदीश सरवैया, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी-ग्राम-नागन देवरी, तह0लखनौदान, जिला-सिवनी (म0प्र0)

विरूद्ध

प्रतिवादी
आवेदक : सहसराम लोधी आत्मज गनेश लोधी, उम्र लगभग57 वर्ष, निवासी-ग्राम-आमगॉव, तहसील व थाना- कुरई, जिला-सिवनी (म0प्र0)

रिवीजन अंतर्गत धारा-50 भू0रा0सं01959

प्रत्यर्थी/आपत्तिकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत कर रहा है :-

यह रिवीजन प्रतिवादी/आवेदक के द्वारा न्यायालय तहसीलदार कुरई, जिला-सिवनी (गौरीशंकर शर्मा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/06/17 रा0प्र0क0-12/अ-6/2015-16 पक्षकार सहसराम विरूद्ध रणजी सिंह से व्यथित होकर यह रिवीजन प्रस्तुत की जा रही है। आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श ए/1 है।

रिवीजन के तथ्य

1. यह कि, प्रतिवादी/आवेदक सहसराम के द्वारा न्यायालय तहसीलदार कुरई, जिला-सिवनी के न्यायालय में एक आवेदन नामांतरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें प्रत्यर्थी/आपत्तिकर्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की है।
2. यह कि, भूमि खसरा नं.86 जिसका रकवा 0.75 हे0. कृषि भूमि जो मौजा आमगॉव नं.बं. 23, प.ह.नं.9/94 रा0नि0मं0सुकतरा, तहसील-कुरई, जिला-सिवनी में स्थित है। उक्त भूमि में से रकवा 0.37 हे0 प्रत्यर्थी ने विक्रेतागण हरिप्रसाद एवं 6 अन्य लोगों से पंजीकृत

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/सिवनी/भू.रा./2017/2987

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. तोमर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर, जिला सिवनी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला सिवनी</u>**	